संख्या–1098 / 81–2–2021–800(54) / 2021

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 25 **अगस्त, 2021**

विषय– पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहार–जौनपुर रेलवे सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों / पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 1337 वृक्षों / पौधों के पातन अर्थात कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1346 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या–एफपी / यूपी / Rail / 41878 / 2019)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 07 / 118 / 2021 / एफ0सी0 / 52, दिनांक 22.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–215 / 11–सी–एफपी / यूपी / Rail / 41878 / 2019, दिनांक 19.07.2021 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचनाएं शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 19.07.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना / अभिलेख संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

Data D. SO.Nodal.GOI Letter